1981 में 83 लाख था जो 1986 में बढ़कर लगभग 129 लाख हो गया है ।

(ख) आशा है कि टायरों की बढ़ी हुई उपलब्धता से उपभोक्ताओं को लाभ होगा ।

**चमड़ा उद्योग**

3318. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़े का निर्यात किये जाने के कारण लघु क्षेत्र के चमड़ा उद्योग को चमड़ा अधिक दरों पर मिल रहा है और उन्हें बड़ी कम्पनियों से मुकाबला करने में कठिनाई हो रही है; यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ; और

(ख) सरकार प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में चमड़े और मांस का निर्यात करती है और इससे वार्षिक आय कितनी होती है और ये मदें कहां से प्राप्त की जाती हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम)** (क) विदेशों में चमड़े और चमड़े के उत्पादों की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के कारण, कच्ची खालों और चामों के साथ-साथ चमड़े के मूल्य में भी वृद्धि हुई है, जो उद्योग के सभी क्षेत्रों में लागू है । लघु क्षेत्र के लिए चमड़े की कोई कमी नहीं है । यह क्षेत्र घरेलू और विदेशी बाजार में प्रभावकारी ढंग से मुकाबला कर रहा है ।

सरकार मूल्यवर्धित चमड़े की के निर्यात वस्तुओं को बढ़ावा दे रही है और चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले एककों को तैयार चमड़ा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रेल, 1987 से पूर्व तैयार चमड़े के निर्यात पर मिलने वाली नकद क्षतिपूरक सहायता समाप्त कर दी है । खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सभी प्रकार की चमड़े की वस्तुओं के आयात की भी अनुमति दी जा रही है और क्रस्ट अवस्था तक चमड़े के आयात पर आयात शुल्क से छूट दी जा रही है । यहां तक कि गोजातीय तैयार चमड़े के आयात पर भी कोई आयात शुल्क नहीं लगता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़े के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मिलियन में)

| | 1984–85 | | 1985–86 | | 1986–87 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा कि०ग्रा० | मूल्य (रुपये) | मात्रा कि० ग्रा० | मूल्य (रुपये) | मात्रा कि०ग्रा० | मूल्य (रुपये) |
| अर्ध तैयार चमड़ा | 6.62 | 491.56 | 5.22 | 490.72 | 5.59 | 525.08 |
| तैयार चमड़ा | 23.55 | 3085.28 | 21.99 | 2881.95 | 30.58 | 4008.94 |

पिछले तीन वर्षों के दौरान मांस और मांस के पदार्थों के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:–

(मात्रा मी० टन में)

(मूल्य लाख रु० में)

| | 1984–85 | | 1985–86 | | 1986–87 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| ताजा मांस . | 14,559 | 2,872 | 13,208 | 2,906. | 9,378 | 2,297 |
| जमा हुआ मांस . | 30,007 | 3,763 | 34,012 | 4,207 | 36,064 | 4,584 |
| डिब्बा बंद मांस . | 1,737 | 371 | 1,308 | 282 | 1,376 | 321 |

मांस और मांस के पदार्थों के निर्यात करने वाले राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश हैं। चमड़े का निर्यात करने वाले मुख्य राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं।

**Small scale lamp manufacturers**

3319. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of INDUSTRY be plea-sed to state;

(a) whether Government are aware that there is a complaint that a recent Government order regarding Small Scale lamp manufacturers has resulted in throwing out of job of a large number of workers; and

(b) if so, whether Government have looked into the compIaints and if so, what are the details of the order and what steps Government propose to take to mitigate the hardship caused to workers?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Government have received representations from industry against the Government Order, imposing mandatory ISI mark on GLS Lamps upto 100 watts expressing apprehensions about loss of job of a large number of persons.

(b) (i) Yes. There is no threat to a large number of persons being thrown out of job as a result of this Order;

(ii) The Order spell out that 'No.* person is permitted to manufacture or store for sale, sell or distribute any GLS Lamps which do not conform to the specified standard and it would be with ISI certification mark'.

(iii) In view of b(i) above, question of taking steps by Government does not arise.

**Restriction on import of drugs**

3320. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the names of drucs in respect of which his Ministry r°commended to the Chief Controller of Imports and Exports for imposing a ban or restriction on imports during the last two years upto 30fh June, 1987;

(b) what was the production of those drues during the last two years, yearwise, along with the estimated requirement for 1987-88;

(c) what were the considerations on which restriction or ban was recommended in each case;